न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 73 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 87

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री अतुल जैन पुत्र श्री समर्थलाल जैन निवासी बाहुबली कोलोनी, सेक्टर नं. 8 बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स– सिटी मार्ट, सिल्वर प्लाजा, दाहोद रोड, बांसवाडा (राज) फोन नं. 6375709389
2. श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी श्री कुलदीप कुमार शर्मा (फर्म मालिक) मैसर्स– अतुल्य ट्रेडर्स, बाहुबली कोलोनी, मेन रोड, गणेश दूध डेयरी के पास बांसवाडा मो.नं. 9414102546
3. श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा (नोमिनी) मैसर्सः– **AGARWAL PAPAD PVT.LTD UNIT-II, Survay No 392/1/2, 392/2/2 Gram- Limbodagari, the Hatod, Dist. Indore (M.P.) 453111 Mob No. 9426327700**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 22–07–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **25–06–2024** को यह प्रकरण इस आशय [illegible] –06–2023 को दौराने निरीक्षण 2.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा [illegible] खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु **मैसर्स– सिटी मार्ट, सिल्वर प्लाजा, दाहोद रोड, बांसवाडा (राज)** [illegible] तो वहां पर **श्री अतुल जैन पुत्र श्री समर्थलाल जैन** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक [illegible] **विक्रेता एवं गवाहान्** की उपस्थिति में **मैसर्स– सिटी मार्ट, सिल्वर प्लाजा, दाहोद रोड, बांसवाडा (राज)** का निरीक्षण करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:13 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दुकान में **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420) के 7 पैकेट 500 ग्राम का रखा था। खमण इंसटंट (अग्रवाल 420)** जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420) के 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **360/–** रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420) के 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1450** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियॉं तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:13 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं [illegible] अधि[illegible]री बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/364 दिनांक 07–07–2023 एवं खाद्य [illegible]षक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 670 दिनांक 28–0[illegible]023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1450** Misbrandad food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बॉसवाड़ा (राज.)

पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई, **श्री अतुल जैन पुत्र श्री समर्थलाल जैन** ने नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है। फर्म के मालिक **श्री अतुल जैन पुत्र श्री समर्थलाल जैन** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420) मैसर्स– अतुल्य ट्रेडर्स, बाहुबली कोलोनी, मेन रोड, गणेश दूध डेयरी के पास बांसवाडा** का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। जिस पर **मैसर्स– अतुल्य ट्रेडर्स, बाहुबली कोलोनी, मेन रोड, गणेश दूध डेयरी के पास बांसवाडा** से खरीद बाबत् बिल की सूचना देने के लिए पत्र से सूचित किया। जिस पर विक्रेता ने **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420) मैसर्सः– AGARWAL PAPAD PVT.LTD UNIT-II, Survay No 392/1/2, 392/2/2 Gram- Limbodagari, the Hatod, Dist. Indore (M.P.) 453111** का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्सः– AGARWAL PAPAD PVT.LTD UNIT-II, Survay No 392/1/2, 392/2/2 Gram- Limbodagari, the Hatod, Dist. Indore (M.P.) 453111** से खरीद बाबत् बिल की सूचना देने के लिए पत्र से सूचित किया। जिस पर फर्म द्वारा नोमिनी एवं फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किए। प्रकरण अभियुक्त ने मिसब्राण्डेड **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420) का** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 26–06–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 22–07–2024 को अप्रार्थी सं 1 स्वयं उपस्थित हुए व 2 व 3 की ओर से श्री रमाकान्त शर्मा अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 1 ने स्वयं व अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 ने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण अपने पर लगे आरोप स्वीकार करते है और न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:13 IST
Reason: SelfAttested

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/364 दिनांक 07–07–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 670 दिनांक 28–06–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1450** Misbrandad food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **खमण इंसटंट (अग्रवाल 420)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री अतुल जैन पुत्र श्री समर्थलाल जैन निवासी बाहुबली कोलोनी, सेक्टर नं. 8 बांसवाडा (विक्रेता) मैसर्स– सिटी मार्ट, सिल्वर प्लाजा, दाहोद रोड, बांसवाडा (राज) को रूपये 2000/– (अक्षरे दो हजार रुपया मात्र), श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी श्री कुलदीप कुमार शर्मा (फर्म मालिक) मैसर्स– अतुल्य ट्रेडर्स, बाहुबली कोलोनी, मेन रोड, गणेश दूध डेयरी के पास बांसवाडा (फर्म मालिक) को रूपये 3000/– (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा (नोमिनी) मैसर्सः– AGARWAL PAPAD PVT.LTD UNIT-II, Survay No 392/1/2, 392/2/2 Gram- Limbodagari, the Hatod, Dist. Indore (M.P.) को रूपये 20000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 22–07–2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:35:13 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)